राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली- 110012

संख्याः 9(3)/2016-17/कल्याण/ एनएससी

दिनांकः 26 सितम्बर, 2018

विषयः सेवानिवृत्ति उपरांत अंशदायी चिकित्सा लाभ योजना-2018 की सदस्यता के लिए वार्षिक अंशदान के संबंध में।

महोदय/महोदया,

निगम में लागू सेवानिवृत्ति उपरांत अंशदायी चिकित्सा लाभ योजना को ओर एक वर्ष के लिए 19 सितम्बर, 2018 से 18 सितम्बर, 2019 तक लागू कर दिया गया है।

तदनुसार, उक्त योजना के अनुसार प्रत्येक सदस्य को श्रेणीवार पात्रतानुसार उक्त पॉलिसी के लिए देय कुल वार्षिक प्रीमियम राशि की क्रमशः 25%, 30%, 35% व 40% राशि चैक/डीडी द्वारा प्रतिवर्ष जीवन प्रमाणपत्र के साथ निगम मुख्यालय को भिजवानी होगी।

संबंधित कार्मिक जो क्रमशः **रू. 03.00 लाख, रू. 04.00 लाख, रू. 05.00 लाख एवं रू. 06.00 लाख** के कवरेज में आते हैं उन्हें इस वर्ष **रू. 3168/-, रू. 5069/-, रू. 7392/- व रू. 10138/-** का वार्षिक अंशदान **दिनांक 22 अक्टूबर, 2018** तक अनिवार्य रूप से भिजवाना है। अंशदान प्राप्त न होने की स्थिति में समझा जाएगा कि आप उक्त पॉलिसी को आगे जारी रखने के इच्छुक नहीं है तथा उक्त योजना के अंतर्गत आपकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी।

इसके अतिरिक्त जुलाई-अगस्त, 2019 तक अपना जीवन प्रमाणपत्र अवश्य भिजवा दें। समिक्षित योजना से संबंधित अन्य जानकारी निगम की वेबसाइट पर "Public circulars" लिंक के अंतर्गत देख सकते हैं।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी।

भवदीया,

दीपिका 26.9.2018

(दीपिका रानी)
सहायक प्रबंधक (राजभाषा)
दूरभाष सं.- 25846292